



बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

प्रधान कार्यालय : “लोकमंगल”, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005.

फॉर्म बी

प्रॉक्सी फॉर्म

विनियमों के विनियम 70(iii) के अनुसार
(शेयरधारकों द्वारा भरे जाने व हस्ताक्षर करने के लिए)

पंजीकृत फोलियो क्र.		डीपी आईडी क्र.	
		ग्राहक आईडी क्र.	
यदि बेकागजीकृत नहीं है		यदि बेकागजीकृत है	

मैं/हम _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____
बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती _____
निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को अथवा
इनके न होने पर श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____
राज्य _____ को **गुरुवार, दिनांक 21 जून, 2018** को सुबह 10.30 बजे अप्पासाहेब
जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे, 411005 में आयोजित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हितधारकों की 15 वीं वार्षिक साधारण बैठक
और इसके स्थगित होने पर होनेवाली बैठक में मेरे/ हमारी ओर से और मेरे/ हमारे लिए वोट करने हेतु मेरे/ हमारे प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ/करती हूँ।
वार, दिनांक _____ 2018 को हस्ताक्षरित

नाम : _____
पता : _____

कृपया ₹1/-
का राजस्व
टिकिट
चिपकाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

(पहले नाम वाले / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर)

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने व उसे प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

- कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि -
 - वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में इस पर उसके द्वारा या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
 - संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नाम वाले शेयरधारक द्वारा या लिखित में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
 - निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों। यह नोट किया जाए कि प्रॉक्सी की नियुक्ति के लिए अधिकार/ एक समुचित प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसके नियुक्ति के संकल्प की एक प्रति, जिसे बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया जाना है, संलग्न की जानी है।
- प्रॉक्सी लिखत शेयरधारक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए, यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो उस पर उसके अंगूठे का निशान लगाया गया हो और उसका अधिप्रमाणन किसी न्यायाधीश, मॅजिस्ट्रेट, एश्वोरेंस के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो।
- प्रॉक्सी फॉर्म
 - मुख्तारनामा या अन्य किसी प्राधिकारी (यदि कोई हो) जिसके अधीन उस पर हस्ताक्षर किया गया हो या
 - किसी नोटरी पब्लिक अथवा किसी मॅजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा या प्राधिकार की एक प्रति के साथ 15वीं वार्षिक साधारण बैठक के दिनांक से कम से कम **चार दिन** पूर्व अर्थात् **शुक्रवार, दिनांक 15 जून 2018 को कार्य-समाप्ति समय शाम 5.00 बजे** या उससे पूर्व बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, “लोकमंगल”, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 के पास जमा हो जाना चाहिए।
- कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक की उस पर विधिवत स्टैम्प न लगाया गया हो।
- बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अपरिवर्तनीय व अंतिम होगी।
- यदि कोई प्रॉक्सी लिखत दो ग्राहियों के पक्ष में विकल्पस्वरूप दी गई हो तो एक से अधिक फॉर्म का निष्पादन नहीं किया जा सकता।
- एक प्रॉक्सी लिखत का निष्पादन करने वाले शेयरधारक को 15वीं वार्षिक साधारण बैठक में स्वयं मत देने की पात्रता नहीं होगी, जिससे ऐसी लिखत संबंधित है।
- ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अधिकारी या कर्मचारी हो।
- नियुक्त किए गए किसी भी प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

HEAD OFFICE: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune-411005

Form B

PROXY FORM

(As per Regulation 70 (iii) of The Regulations)

(To be filled in and signed by the Shareholders)

Regd .Folio No.		DP ID No.	
		Client ID No.	
If not Dematerialised		If Dematerialised	

I/We,resident(s) of in the district of.....in the State ofbeing a shareholder/s of Bank of Maharashtra, hereby appoint Shri / Smt..... resident ofin the district of..... in the State ofOR failing him/her, Shri/Smt..... resident ofin the district of..... in the State ofas my / our proxy to vote for me / us and on my/our behalf at the 15th Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Maharashtra to be held on **Thursday, 21st June, 2018** at 10.30 a.m. at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411 005 and at any adjournment thereof.

Signed this day of.....2018.

Name.....

Address.....

.....

Please
affix ₹ 1/-
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

(Signature of the first named/sole shareholder)

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM:

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - In the case of an individual shareholder, it is signed by the shareholder or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - In the case of a body corporate, signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing. It is to be noted that a copy of resolution appointing him/her as a duly authorized representative /power to appoint a Proxy, certified to be true copy by the Chairman of the meeting is to be attached
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Maharashtra.
- The Proxy together with
 - The power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - A copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Bank of Maharashtra with the General Manager, Investor Services Department, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411005, not less than **FOUR DAYS** before the date of the 15th Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours at **05.00 P.M. on Friday, 15th June, 2018.**
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favor of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the 15th Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Maharashtra.
- The Proxy appointed will not have any right to speak at the Meeting.